

LEGISLATIVE ASSEMBLY
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

BULLETIN PART - I
(Brief summary of proceedings)
Thursday, 09 June, 2016 / 19 Jyaistha, 1938 (Saka)

No. 32
2:05 P.M.

Sh. Ram Niwas Goel, Hon'ble Speaker in-Chair

NATIONAL SONG-VANDE MATARAM

1.	2.06 P.M.	Obituary References: House paid homage and observed two minute silence on the sad demise of Shri Jagdish Lal Batra, former MLA (1993-98) and former Metropolitan Councillor (1983-89).
2.	2.09 P.M.	Shri Vijender Gupta, Hon'ble Leader of Opposition sought to know the fate of the notice of adjournment motion given by him under Rule-59. The Chair ruled that he had not allowed the notice as the matter was not of urgent public importance.
3.	2.14 P.M.	Sh. Vijender Gupta and Sh. Jagdish Pradhan, Members of BJP walked out of the House in protest against the Ruling of the Chair.
4.	2.15 P.M.	Special Mention (Rule-280): The following Members raised matters under Rule-280 with the permission of the Chair: 1. Sh. Nitin Tyagi 2. Sh. S.K Bagga
5.	2.17 P.M.	Sh. Vijender Gupta and Sh. Jagdish Pradhan, Members of BJP came back into the House.
6.	2.18 P.M.	Special Mention (Rule-280) contd.: 3. Sh. Surender Singh 4. Sh. Shri Dutt Sharma 5. Ms. Bhawna Gaur 6. Sh. Jagdish Pradhan 7. Sh. Akhilesh Pati Tripathi 8. Sh. Sanjeev Jha 9. Sh. Vijender Gupta 10. Sh. Anil Kumar Bajpai 11. Ms. Alka Lamba
7.	2.46 P.M.	Papers laid on the Table: Shri Satyender Jain, Hon'ble Minister of Home & Industries laid the copies of the Annual Report of DSIIDC for the year 2013-14 & 2014-15 on the Table of the House. (English/Hindi version).
8.	2.47 P.M.	Presentation of Report: Ms. Bhawna Gaur presented the First Report of the Rules Committee.
9.	2.48 P.M.	Shri Sanjiv Jha, Hon'ble Member raised the issue of alleged irregularity in restoration of license of a ration shop in Burari. The following members participated in the discussion: 1. Shri Madan Lal 2. Shri Somnath Bharti 3. Shri Jarnail Singh (Tilak Nagar) 4. Shri Amanatullah Khan 5. Shri Jagdish Pradhan

10.	3.36 P.M.	The Chair adjourned the House as the House became noisy.
11.	4.08 P.M.	House reassembled. Hon'ble Speaker in Chair
12.	4.09 P.M.	<p>Shri Saurabh Bhardwaj moved the following sense of the House Motion with the leave of the House:</p> <p>“This House agrees: That a Special Inquiry Committee to probe alleged irregularity in restoration of a cancelled licence of a ration shop <i>M/s Janata Provision Store</i> located in Sant Nagar area, Burari, be constituted; That the Committee shall consist of the following Members:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Shri Vishesh Ravi 2. Shri Somnath Bharti 3. Shri Amanatullah Khan 4. Shri Rajesh Gupta 5. Shri Rajendra Pal Gautam 6. Shri Madan Lal 7. Shri Nitin Tyagi 8. Shri Narayan Dutt Sharma and 9. Shri Jagdish Pradhan <p>That the Hon'ble Speaker shall appoint one of the Members of the Committee as its Chairperson; That the terms of reference of the Committee shall be: To look into the correctness or otherwise of the procedure adopted by the authorities concerned in cancelling the licence of the said ration shop, To look into the correctness or otherwise of restoration of the cancelled licence as ordered by Hon'ble Lt. Governor, To examine existence of <i>mala fide</i> intent, if any, in the decisions referred to above, To investigate grave allegation of bribery that is supposed to have taken place for restoring the cancelled licence, To receive complaints on similar such matters and to investigate the same and To take up any other matter that is incidental or consequential to the issue under examination; That the Committee is free to decide its own procedure to fulfil the mandate given to it by the House; That the Committee is free to enlarge the scope of the investigation, if needed, subject to approval of Hon'ble Speaker; That the Committee shall exercise all powers and immunities available to the existing Committees of the Legislative Assembly; and That the Committee shall submit its report to Hon'ble Speaker before the commencement of the Fifth Session of the Sixth Legislative Assembly”</p> <p>Shri Jagdish Pradhan stated that he did not want to be a member of the proposed Committee. Sh. Vijender Gupta, Hon'ble Leader of Opposition also stated that no BJP will be part of the proposed Committee.</p>

		<p>Sh. Vijender Gupta and Sh. Jagdish Pradhan, Members of BJP walked out of the House.</p> <p>Shri Saurabh Bhardwaj amended his Motion and proposed that the name of Shri Jagdish Pradhan be substituted with the name of Ms. Bhawna Gaur.</p> <p>The amended Motion was put to vote and adopted by voice vote.</p>
13.	4.20 P.M.	<p>Short Duration Discussion:</p> <p>Shri Nitin Tyagi, initiated discussion on alleged corruption and maladministration in the Municipal Corporations of Delhi.</p> <p>The following Members participated in the debate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Ms. Bhawna Gaur 3. Sh. Jarnail Singh (Rajouri Garden)
14.	5.05 P.M.	<p>Sh. Jagdeep Singh, Chief Whip raised the issue of alleged attack on Shri Rakesh Kumar, the North MCD Councillor in Ramleela Ground. Ms. Alka Lamba, Ms. Rakhi Birla & other members demanded that the aforesaid issue be discussed in the House in view of its seriousness.</p>
15.	5.08 P.M.	<p>The Chair adjourned the House for 15 minutes.</p>
16.	5.40 P.M.	<p>House reassembled.</p> <p>Hon'ble Speaker in Chair</p>
17.	5.41 P.M.	<p>Sh. Ajay Dutt, Hon'ble Member moved the following Motion:</p> <p><i>"This House condemns in strongest possible terms the dastardly attack made on Sh. Rakesh Kumar, Councillor of Ward No.82 of North MCD which falls under Matia Mahal Assembly Constituency. The attack was made on Sh. Rakesh Kumar, a Dalit Councillor, who went to attend the meeting of MCD at Ram Lila Maidan today, by the leaders and the activists of BJP without any provocation.</i></p> <p><i>This House directs the Commissioner of Police to initiate strictest possible action against perpetrators of this attack on Sh. Rakesh Kumar and proceed against them under provisions of SC/ST Act, IPC and all other applicable laws.</i></p> <p><i>This House further directs that all the assaulters, including the Councillors, who are clearly visible in the videos be arrested immediately."</i></p>
18.	5.42 P.M.	<p>The following Members participated in the Discussion:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Sh. Somnath Bharti 3. Ms. Rakhi Birla 4. Sh. Rajender Pal Gautam 5. Sh. Madan Lal 6. Sh. Sandeep Kumar 7. Sh. Rajesh Gupta <p>The Motion was put to vote and adopted by voice vote.</p>
19.	6.15 P.M.	<p>The Chair adjourned the House upto 2.00 PM on Friday, 10 June 2016.</p>

विधान सभा
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
समाचार भाग-1
कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख
वीरवार, 09 जून, 2016/19 ज्येष्ठ, 1938 (षक)

संख्या-32

2.05 बजे

श्री रामनिवास गोयल, माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए।

राष्ट्रीय गीत – वन्दे मातरम

1	2.06 बजे	निधन संबंधी उल्लेख : सदन द्वारा श्री जगदीश लाल बतरा, पूर्व विधायक (1993-98) एवं पूर्व महानगर पार्षद (1983-89) के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की गई तथा दो मिनट का मौन धारण किया गया।
2	2.09 बजे	श्री विजेन्द्र गुप्ता, नेता प्रतिपक्ष ने उनके द्वारा नियम-59 के अंतर्गत दी गई कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना के बारे में जानना चाहा। अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि उन्होंने सूचना को स्वीकार नहीं किया है क्योंकि विषय अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है।
3	2.14 बजे	भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों श्री विजेन्द्र गुप्ता तथा श्री जगदीश प्रधान ने विरोधस्वरूप सदन से बहिर्गमन किया।
4	2.15 बजे	विशेष उल्लेख (नियम-280) : निम्नलिखित सदस्यों ने अध्यक्ष महोदय की अनुमति से नियम-280 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के मामले उठाये :- 1. श्री नितिन त्यागी 2. श्री एस.के.बग्गा
5	2.17 बजे	भारतीय जनता पार्टी के सदस्य श्री विजेन्द्र गुप्ता तथा श्री जगदीश प्रधान सदन में वापिस आ गये।
6	2.18 बजे	विशेष उल्लेख (नियम-280) जारी..... 3. श्री सुरेन्द्र सिंह 4. श्री श्रीदत्त शर्मा 5. सुश्री भावना गौड़ 6. श्री जगदीश प्रधान 7. श्री अखिलेशपति त्रिपाठी 8. श्री संजीव झा 9. श्री विजेन्द्र गुप्ता 10. श्री अनिल कुमार बाजपेयी 11. सुश्री अलका लाम्बा
7	2.46 बजे	सदन पटल पर प्रस्तुत कागजात : श्री सत्येन्द्र जैन, माननीय गृह मंत्री ने दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 हेतु हिन्दी-अंग्रेजी प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत कीं।
8	2.47 बजे	प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण : सुश्री भावना गौड़ ने नियम समिति का प्रथम प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत किया।
9	2.48 बजे	श्री संजीव झा, माननीय सदस्य ने बुराड़ी में राशन की दुकान का लाइसेंस बहाल करने में कथित अनियमितता का मामला उठाया।

		<p>निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. श्री मदन लाल 2. श्री सोमनाथ भारती 3. श्री जरनैल सिंह (तिलक नगर) 4. श्री अमानतुल्ला खां 5. श्री जगदीश प्रधान
10	3.36 बजे	सदन में शोर शराबा होने के कारण अध्यक्ष महोदय ने सदन की कार्यवाही स्थगित की।
11	4.08 बजे	सदन पुनः समवेत हुआ। अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
12	4.08 बजे	<p>श्री सौरभ भारद्वाज ने सदन की अनुमति से सदन की भावना के अनुरूप निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया:-</p> <p>“यह सदन सहमत है कि:</p> <p>संत नगर क्षेत्र, बुराड़ी में स्थित राशन की दुकान, <i>मैसर्स जनता प्रोविजन स्टोर</i> के रद्द लाइसेंस को पुनः जारी करने में कथित अनियमितता की जांच करने के लिए विशेष जांच समिति का गठन किया जाये;</p> <p>इस समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. श्री विशेष रवि 2. श्री सोमनाथ भारती 3. श्री अमानतुल्ला खां 4. श्री राजेश गुप्ता 5. श्री राजेन्द्र पाल गौतम 6. श्री मदन लाल 7. श्री नितिन त्यागी 8. श्री नारायण दत्त शर्मा 9. श्री जगदीश प्रधान <p>अध्यक्ष महोदय समिति के सदस्यों में से किसी एक सदस्य को इसका सभापति नियुक्त करेंगे;</p> <p>समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :</p> <p>उक्त राशन की दुकान का लाइसेंस रद्द करने के संबंध में संबंधित प्राधिकारियों द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के औचित्य या अनौचित्य की जांच करना;</p> <p>माननीय उप राज्यपाल के आदेशानुसार रद्द लाइसेंस को पुनः जारी करने के औचित्य या अनौचित्य की जांच करना;</p> <p>उपरोक्त संदर्भित निर्णयों में, यदि कोई दुर्भावना हो तो उसका परीक्षण करना;</p> <p>रद्द लाइसेंस को पुनः जारी करने में संभावित रिश्वतखोरी के गंभीर आरोप की जांच करना;</p> <p>ऐसे समरूप मामलों से संबंधित शिकायतें प्राप्त करना तथा उनकी जांच करना;</p> <p>जांच के अधीन विषय के प्रासंगिक या अनुवर्ती किसी अन्य मामले को विचारार्थ लेना;</p> <p>समिति सदन द्वारा दिये गये आदेश को पूरा करने के लिए अपनी प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है;</p> <p>समिति, यदि आवश्यक हुआ तो, अध्यक्ष महोदय की अनुमति से, जांच का कार्य क्षेत्र बढ़ाने के लिए स्वतंत्र है;</p> <p>समिति विधान सभा की विद्यमान समितियों को उपलब्ध सभी शक्तियों और प्रतिरक्षा का उपयोग करेगी, और</p> <p>समिति अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष महोदय को छठी विधान सभा का पांचवा सत्र प्रारम्भ होने से पहले सौंपेगी।”</p>

		<p>श्री जगदीश प्रधान ने कहा कि वे इस प्रस्तावित समिति के सदस्य नहीं बनना चाहते। श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सदस्य इस प्रस्तावित समिति में नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों श्री विजेन्द्र गुप्ता तथा श्री जगदीश प्रधान ने विरोध स्वरूप सदन से बहिर्गमन किया। श्री सौरभ भारद्वाज ने अपना प्रस्ताव संशोधित किया और प्रस्ताव किया कि श्री जगदीश प्रधान के स्थान पर सुश्री भावना गौड़ को समिति का सदस्य बनाया जाये। संशोधित प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया तथा ध्वनि मत से पारित हुआ।</p>
13	4.20 बजे	<p>अल्पकालिक चर्चा : श्री नितिन त्यागी ने दिल्ली नगर निगमों में तथाकथित भ्रष्टाचार तथा कुप्रशासन के संबंध में चर्चा प्रारम्भ की। निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया : 1. सुश्री भावना गौड़ 2. श्री जरनैल सिंह (राजौरी गार्डन)</p>
14	5.05 बजे	<p>श्री जगदीप सिंह, मुख्य सचेतक नें रामलीला मैदान में उत्तरी दिल्ली नगर निगम के आम आदमी पार्टी के पार्षद के साथ तथाकथित दुर्व्यवहार का मामला उठाया। सुश्री अलका लाम्बा, सुश्री राखी बिड़ला तथा आम आदमी पार्टी के अन्य सदस्यों नें मांग की कि उपरोक्त मामले की गम्भीरता को देखते हुए इस पर सदन में चर्चा कराई जाये।</p>
15	5.08 बजे	<p>अध्यक्ष महोदय ने सदन की कार्यवाही 15 मिनट तक के लिए स्थगित की।</p>
16	5.40 बजे	<p>सदन पुनः समवेत हुआ। अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।</p>
17	5.41 बजे	<p>श्री अजय दत्त, माननीय सदस्य नें निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया: कि यह सदन मटिया महल विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत उत्तरी दिल्ली नगर निगम के वार्ड सं0 82 के पार्षद श्री राकेश कुमार पर हुए कायरतापूर्ण हमले की अत्यंत कड़े शब्दों में भर्त्सना करता है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा बिना किसी उकसावे के यह हमला श्री राकेश कुमार, दलित पार्षद पर किया गया, जो आज रामलीला मैदान में दिल्ली नगर निगम की बैठक में भाग लेने गये थे। यह सदन पुलिस आयुक्त को निर्देश देता है कि श्री राकेश कुमार पर हमला करने वाले अपराधियों के विरुद्ध अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम, भारतीय दंड संहिता तथा अन्य सभी संभावित कानूनों के अंतर्गत सख्त से सख्त कार्यवाही आरम्भ की जाये। यह सदन यह भी निर्देश देता है कि सभी हमलावरों, निगम पार्षदों सहित, जो वीडियो में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, उन्हें तत्काल गिरफ्तार किया जाये।</p>
18	5.42 बजे	<p>निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया : 2. श्री सोमनाथ भारती 3. सुश्री राखी बिड़ला 4. श्री राजेन्द्र पाल गौतम 5. श्री मदन लाल 6. श्री संदीप कुमार 7. श्री राजेश गुप्ता</p>
19	6.15 बजे	<p>अध्यक्ष महोदय ने सदन की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 10 जून, 2016 को अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित की।</p>

